भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 2479
(सोमवार, 04 अगस्त, 2025/13 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

सीएसआर परियोजनाओं का तृतीय पक्ष प्रभाव मूल्यांकन

2479. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लीः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सभी प्रमुख सीएसआर परियोजनाओं के लिए, कंपनी के आकार या सीमा की परवाह किए बिना, तृतीय-पक्ष प्रभाव आकलन या सामाजिक संपरीक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव रखती है;
(ख) क्या सरकार की वित्तीय प्रकटीकरण से परे विकासात्मक प्रभाव का आकलन करने के लिए नीति आयोग के सहयोग से एक वार्षिक सीएसआर परिणाम रिपोर्ट प्रकाशित करने की योजना है;
(ग) क्या सरकार कारपोरेट व्यय को स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करने के लिए जिला-वार सीएसआर नियोजन ढाँचे को अनिवार्य बनाने या अनुशंसित करने पर विचार कर रही है; और
(घ) क्या सरकार भूजल की कमी, जनजातीय शिक्षा या जलवायु लचीलापन जैसी क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए एकत्रित सीएसआर निधियों की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव रखती है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) एवं (ख): कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 में सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसके अनुसार, प्रत्येक ऐसी कंपनी जिसका औसत सीएसआर दायित्व, अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के अंतर्गत, तत्काल के तीन वित्तीय वर्षों में ₹10 करोड़ या अधिक रहा है, उसे उन सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव आकलन एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से कराना अपेक्षित है, जिन पर ₹1 करोड़ या अधिक की राशि व्यय की गई हो तथा जो प्रभाव अध्ययन से पूर्व कम से कम एक वर्ष पूर्व पूर्ण हो चुकी हों। कंपनियों के लिए यह आवश्यक है कि वे सीएसआर कार्यकलाप, प्रभाव आकलन आदि का विवरण 'सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट' में प्रस्तुत करें, जिसमें सीएसआर हेतु वार्षिक कार्य योजना भी सम्मिलित होती है, जो निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अभिन्न अंग होती है। नीति आयोग के सहयोग से, वित्तीय प्रकटीकरण से परे, सीएसआर के विकासात्मक प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई पृथक 'वार्षिक सीएसआर परिणाम रिपोर्ट' प्रकाशित करने की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

(ग) एवं (घ): जी नहीं। अधिनियम की अनुसूची VII में उन कार्यकलापों की सूची दी गई है जिन्हें कंपनियाँ सीएसआर के रूप में क्रियान्वित कर सकती हैं। अनुसूची VII के अंतर्गत उल्लिखित कार्यकलाप समावेशी एवं सतत विकास को प्रोत्साहित करने हेतु सामान्य रूप से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप तैयार किये गए हैं, जो पहले से ही सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ संबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त, अनुसूची VII में उल्लिखित प्रविष्टियाँ व्यापक प्रकृति की हैं और उन्हें उस विषयवस्तु की मूल भावना के अनुरूप उदारतापूर्वक व्याख्यायित किया जा सकता है। सरकार द्वारा कंपनियों को किसी विशेष क्षेत्र या कार्यकलाप में व्यय करने हेतु कोई निदेश जारी नहीं किए जाते।

*****